संख्या-3/2017/226/एक-6-2016-15(7)/2016

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय: निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन में नये वाहन के क्रय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-65/6-नजारत-03/2015, दिनांक 21-03-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय एक निष्प्रयोज्य वाहन अम्बेस्डर कार संख्या- यू0पी0-32 बी0जी0-1858 के प्रतिस्थापन स्वरूप 01 मारूती सीयाज कार माडल वी0एक्स0आई प्लस (पेट्रोल) वाहन के क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 7,60,568.00 (रू0 सात लाख साठ हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) के व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन का क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा उक्त निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नही हो रही है।

(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरो पर किया जायेगा तथा धनराशि आहरण के समय आहरण एवं विवरण अधिकारी इस बात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि निष्प्रयोज्य वाहन की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नीलाम करा दी गयी है और प्राप्त विक्रय राशि को राजकोष मं जमा कर दिया गया है ।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रतिस्थापन हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों/नियमों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा अवशेष की स्थिति में धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

3- उक्त व्यय बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के " अनुदान संख्या-52-लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय " मद से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-201/दस-2017 दिनांक- 31 मार्च, 2017 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या-226(1)/एक-6-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद (लेखा परीक्षा-1/2)

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।